G.C.M.S
2021/802

फर्द अहकाम
(नियम– 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू.रा.अधि.बाबत रास्ता नं. 359 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
02/09/2021	माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/ 2003 / पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2021/3054 दिनांक 25.08.2021 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने राजस्व ग्राम काचरेड़ा पटवार मण्डल रायपुर पाटन तहसील नीमकाथाना में प्रचलित रास्तो का राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट रास्ता ग्राम काचरेडा में रायपुर मुख्य सड़क से मालाराम पूर्व सरपंच के घर की और भूमि ख.न. 130 में जाता है। रास्ता मौके पर चालू है। रास्ते में कुल 0.04 है. भूमि आती है प्रचलित रास्ते को नक्शे में डोटेड (लाल स्याही) से दर्शाया गया है उक्त रास्ते बारहमासी प्रचलित है। राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते कि किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है । प्रस्ताव के साथ ग्राम पचायत रायपुर पाटन का मांग पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रस्ताव सं. 07 दिनांक 05.08. 2021 की नकल व रास्ते के फोटोग्राफ पेश किये है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जावें। पत्रावली व प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा अभिशंसित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार ग्राम काचरेड़ा पटवार हल्का रायपुर पाटन तहसील नीमकाथाना की भूमि ख.न. 130 रकबा 0.64 है. में से 0.04 है. भूमि का राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक दर्ज करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार ही नक्शे में तरमीम की जावें। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का भाग रहेगा तद्वानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली नतीजा ... होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:29:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner